पत्र संख्या-स्था-2-सामान्य-नियुक्ति-2024 बैच STO I/600592/2026/ राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक20-05-2026

-::कार्यालय ज्ञाप::-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन) परीक्षा 2024 के माध्यम से राज्य कर अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षा और निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित अभिलेख/दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के उद्देश्य से राज्य कर मुख्यालय लखनऊ में एक हेल्प डेस्क का गठन किया गया है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन) परीक्षा 2024 के आधार पर राज्य कर अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की सहायतार्थ राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ में हेल्प डेस्क गठित करते हुए निम्न अधिकारियों को नामित किया जाता है

क्र0सं0	नामित अधिकारी	पद नाम	मो0न0
1	श्री अजीत कुमार मौर्य	सहायक आयुक्त	7235001274
2	श्रीमती शशि प्रभा चौधरी	राज्य कर अधिकारी	8400148041

हेल्प डेस्क अधिकारियों के लिये कार्य प्रणाली-

कॉल/पूछताछ का पंजीकरण::हेल्प डेस्क पर आने वाले प्रत्येक फोन काल या व्यक्तिगत सम्पर्क का विवरण (अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक/रोल नम्बर, रैंक, सम्पर्क और समस्या का प्रकार) एक दैनिक पंजी(log register/excel sheet) में अनिवार्य रुप से दर्ज किया जायेगा।

पत्र व्यवहार की जानकारी::अभ्यर्थियों को अभिलेखों को पूर्ण कराकर प्रपत्र भेजने हेतु विभागीय पता, कमरा नम्बर और अनुभाग स्पष्ट रुप से नोट कराया जायेगा।

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

विभूति खण्ड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226010

चिकित्सा परीक्षण समन्वय::राज्य चिकित्सा परिषद लखनऊ द्वारा निर्धारित चिकित्सा परीक्षण की तिथि, स्थान और आवश्यक औपचारिकताओं के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों का मार्ग दर्शन किया जागेया।

अभ्यर्थियों के लिये दिशा निर्देश-

तैयारी::हेल्प डेस्क पर सम्पर्क करने हेतु अभ्यर्थी अपना चयन पत्र उ0प्र0लोक सेवा आयोग द्वारा आवंटित परीक्षा अनुक्रमांक अपने पास तैयार रखें।

दस्तावेज चेक लिस्ट::कॉल के दौरान अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें निम्न लिखित प्रपत्र जमा करने है।

I. मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र,

II. हाईस्कूल की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र,

III. इण्टरमीडिएट की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र,

IV. स्नातक की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र,
V. 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सरकारी सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र,
VI. अभियोजन न चलाये जाने तया न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ पत्र,
VII. आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र,
VIII. विवाहित होने की दशा में एक से अधिक पति / पत्नी जीवित न होने का प्रमाण पत्र,
IX. मूल स्थायी निवास से सम्बन्धित स्व घोषणा पत्र,
X. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त् दिव्यांगता प्रमाण पत्र,
XI. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त् ई0डब्ल्यू0एस0 प्रमाण पत्र,
XII. चल-अचल सम्पत्ति विषयक स्व घोषणा पत्र,
XIII. इण्डियन ऑफिशियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बंध में घोषणा।

कार्य समय:: अभ्यर्थी राजकीय कार्य दिवसों में सुबह 10.00 AM से 06.00PM के मध्य हेल्प डेस्क के नम्बरों पर सम्पर्क स्थापित करें।

इस हेल्प डेस्क के सुचारु संचालन और दैनिक प्रगति की समीक्षा उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर की जायेगी ताकि किसी भी अभ्यर्थी को अभिलेख/दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया में असुविधा न हो।

(डॉ0 नितिन बंसल)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 विषयक व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0)राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
2- हेल्प डेस्क में नामित अधिकारियों को अनुपालनार्थ।

(रवि शेखर सिंह)
संयुक्त आयुक्त(स्थापना)
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।